न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री कमला पत्नी हनुमान माली निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 45 / 17

निर्णय दिनांक :–26.09..2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थीया के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के खसरा नम्बर 2696 किस्म गै.मु.नहर में रकबा 0.0150 है. भूमि में बाड़ कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीनी के पति से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीया दिनांक 22.09.2017 को अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीया के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली दस्तावेज एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा परबतसर के खसरा नम्बर 2696 किस्म गै.मु.नहर में रकबा 0.0150 है. भूमि में बाड़ कर कर अतिक्रमण किया है ।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0150 है. भूमि के .10 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार परबतसर